

.....न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम०के० सिंह  
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 20-दो/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-12-13  
पारित द्वारा तहसीलदर तहसील इंदरगढ़ जिला दतिया प्रकरण क्रमांक  
33/अ-६/12-13.

- 1— रामप्रकाश पुत्र श्री रामसिंह यादव  
2— बहादुर सिंह पुत्र श्री रामसिंह यादव  
3— विशाल सिंह पुत्र श्री रामप्रकाश यादव  
4— धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह यादव  
5— स्पर्श सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह यादव  
निवासीगण — ग्राम दमैरा तहसील इन्दरगढ़  
जिला दतिया म.प्र.

— आवेदकगण

विरुद्ध

- 1— अजय सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह  
2— भगवान सिंह यादव पुत्र श्री रामसिंह  
3— रामसिंह यादव पुत्र श्री मेहरवान सिंह  
4— संदीप उर्फ सोनू पुत्र श्री भगवान सिंह  
5— देवन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह  
6— किशन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह  
7— महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामगोपाल यादव  
8— महेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह यादव  
9— उद्यमसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह यादव  
निवासीगण — ग्राम दमैरा तहसील इंदरगढ़  
जिला दतिया म.प्र.

— अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस०एल० धाकड़ ।  
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस०के० अवरथी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक २६ जून, 2014 को पारित )

यह निगरानी तहसीलदार तहसील इंदरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक

33/अ/6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 23-12-2013 के विरुद्ध न0प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई।

2— प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र. 5 एवं 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 109-110 के तहत ग्राम सूरापारा तहसील इंदरगढ़ स्थित भूमि सर्वे नं. 141 रकबा 1.83 को रामसिंह यादव से पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर क्रय किए जाने के कारण नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया। प्रकरण में कार्यवाही के दौरान आवेदकों द्वारा दिनांक 26-12-13 को आपत्ति प्रस्तुत कर सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के कारण कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया। आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/आवेदन का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किए जाने का आदेश दिया गया है एवं प्रकरण शेष साक्षियों के परीक्षण एवं आवेदक के कूट परीक्षण हेतु नियत किया गया है। तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि यह प्रकरण बटवारे का है जो अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। प्रकरण में जा प्रश्नाधीन भूमि है उसके संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण को 3 माह के लिए स्थगित किए जाने का आवेदन दिया गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण नहीं किया गया जबकि प्रथमतः आवेदन का निराकरण करना चाहिए था। यह भी कहा गया कि विकेता रामसिंह आवेदकगण के पिता हैं, भूमि पैत्रिक है जिसमें सभी का हक है। बटवारे के प्रकरणों में जब विवाद उत्पन्न हो तो स्वत्व संबंधी निराकरण के लिए विधि अनुसार सिविल न्यायालय में कार्यवाही किए जाने पर बटवारे की कार्यवाही स्थगित न रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

4— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि यह प्रकरण बटवारे का नहीं बल्कि नामांतरण का है। आवेदक द्वारा गलत तथ्य इस न्यायालय के समक्ष रखे गये हैं। व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है। अनावेदकों ने भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की है। अतः पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर अनावेदकों का नामांतरण किया जाना चाहिए।

5— उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का

अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है नाकि बटवारे का जैसाकि आवेदकगण द्वारा अपने निगरानी आवेदन में एवं तर्कों में बताया गया है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदकों द्वारा संहिता की धारा 109—110 के तहत ग्राम सूरापारा तह. इन्द्रगढ़ स्थित भूमि सर्वे नं. 141 रकबा 1.83 हेक्टर पर विक्यपत्र दिनांक 22—2—13 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यवाही के दौरान आवेदकों द्वारा आपत्ति की गई । तहसीलदार द्वारा आवेदकों को सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के कारण कई बार समय दिया गया है किंतु आवेदकों द्वारा सिविल न्यायालय से रोक अथवा स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यवाही को जारी रखा गया । दिनांक 26—12—13 को आवेदकों द्वारा पुनः आपत्ति की गई जिसमें सिविल न्यायालय सेवढ़ा वर्ग 2 के न्यायालय में स्वत्व संबंधी प्रकरण लंबित होने के कारण तीन माह तक नामांतरण प्रक्रिया को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया जिस पर विचार के उपरांत तहसीलदार ने यह आदेश दिए हैं कि आपत्तिकर्ता ( इस न्यायालय में आवेदक ) के उक्त आवेदनों का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किया जायेगा और उन्होंने प्रकरण पूर्ववत् शेष साक्षियों के कूटपरीक्षण तथा आपत्तिकर्ता की साक्ष्य हेतु नियत किया है । दिनांक 26—12—13 से तीन माह की अवधि समाप्त हो चुकी है तहसील न्यायालय द्वारा विक्यपत्र के आधार पर की जा रही नामांतरण कार्यवाही पर रोक के संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है इस संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्ट्या हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण अभी किया जाना है जहां उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

( एम. के. सिंह )

सदस्य,

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर